प्रेस नोट **दिनांक 24.09.2025**

मशुदा/खोए कुल 05 मोबाइल फोन(04अदद एन्ड्राइड,01अदद आइफोन) लगभग 125000 रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिण टोला साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना दक्षिण टोला में गुमशुदा 05 मोबाइल फोन, आवेदक समरीन शाहीन, आवेदक मो0 आदिल , आवेदक हसीना खातून, आवेदक रामेश्वर बहादुर सिंह, आवेदक लालसा देवी, जिनकी कुल कीमत लगभग 125,000 रुपये के मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामी को सुपुर्द किया गया। आवेदकों द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
2. का0 आ0 नवनीत पाण्डेय, थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
3. का0 कुलदीप पटेल थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।
4. म0का0 प्रीती सिंह थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।

32 पाउच टेट्रा पैक बन्टी बबली प्रत्येक 200 ML अवैध देशी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मादक पदार्थ की तस्करी/ अवैध रूप से बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए घटना में शामिल अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.09.2025 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर भीरा मोड़ के पास से अवैध शराब की बिक्री करने वाला एक अभियुक्त आत्मा राम पुत्र राम प्रसाद निवासी भीरा थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से अवैध 32 पाउच टेट्रा पैक बन्टी बबली प्रत्येक 200 ML अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जिसे उसके अपराध को बताते हुए अन्तर्गत जुर्म धारा 60 आबकारी अधिनियम में चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियु क्त–

1.आत्मा राम पुत्र राम प्रसाद निवासी भीरा थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियो ग-

1.मु0अ0स0 469/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम।

बरामदगी–

1.32 पाउच टेट्रा पैक बन्टी बबली प्रत्येक 200 ML अवैध देशी शराब।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ₹15,000 के अर्थदंड से हुए दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ /FTC प्रथम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 24-09-2025 को मु0अ0सं0 817/16 धारा 498a, 304b भादवी व 3/4DP act वैकल्पित आरोप धारा 302 भादवी थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त चंदन पुत्र मुन्ना राम 2. मुन्ना राम पुत्र छाँगुर राम 3.मानती देवी पत्नी मुन्ना राम समस्त निवासीगण सेहवरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर

कारावास की सजा एवं ₹15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री राजेश पाण्डेय (एडीजीसी), प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव, न्यायालय पैरोकार आरक्षी कुलदीप यादव थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।